

—: पट्टा बनाने हेतू आवेदन पत्र :—

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति (.....)।

आवेदक
का
नवीनतम
फोटो

विषय :— भूखण्ड / पक्के मकान का पट्टा / विनियमितिकरण बनवाने / करवाने बाबत् ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति
निवासी ग्राम पंचायत तहसील जिला
(राज.) अपने मकान का पट्टा बनवाना चाहता हूँ। मेरे पड़ोसी निम्नानुसार हैं :—

दिशा	पड़ोसी विवरण	माप (फीट / मीटर)
1. उत्तर		
2. पूर्व		
3. दक्षिण		
4. पश्चिम		

अतः निम्नानुसार शुल्क लेकर पट्टा जारी करवाने की कृपा करावें।

दिनांक :—

(हस्ताक्षर प्रार्थी)

संलग्न :— 1. ब्ल्यू प्रिंट नक्शा / नजरी नक्शा ।

2. आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली / पानी का बिल ।
3. पटवारी के द्वारा जारी किया हुआ भूमि किरम प्रमाण पत्र ।
4. स्वयं के हक अधिकार सम्बन्धी 50/- रु. के स्टाम्प पर नोटेरी तस्वीक प्रमाण पत्र ।
5. स्वयं के कब्जासुदा भूखण्ड / मकान की 2 फोटो व स्वयं की 2 फोटो ।

श्री ने आज दिनांक को यह आवेदन पत्र पुराने मकान का पट्टा बनाने हेतू प्रस्तुत किया है, कार्यालय टिप्पणी सहित आगामी बैठक में पेश हो।

(हस्ताक्षर सरपंच)

प्रार्थी श्री ने जरिये ग्राम पंचायत रसीद सं. दिनांक द्वारा आवेदन पत्र शुल्क 10/- रु. मौका निरीक्षण शुल्क 25/-रु., नक्शा शुल्क 25/-रु जमा करा दिये हैं।
अतः पंचायती राज नियम 146(1) के अनुसार पत्रावली क्रमांक :— वर्ष 2017–18 खोल दी है।

(हस्ताक्षर सचिव)

—: भूखण्ड की रंगीन 4×6 की फोटो यहाँ चर्पा करें :—

नम :— श्री / श्रीमती

पिता / पति का नाम :—

वार्ड संख्या :— जाति :— निवासी :—

ग्राम पंचायत :— पंचायत समिति :— डीडवाना जिला नागौर(राज.)

भूखण्ड की रंगीन 4×6 की फोटो यहाँ चर्पा करें

हस्ताक्षर / अगुंठा निशान
(आवेदक)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त फोटो प्रार्थी के भूखण्ड की है जिसकी मौके पर मेरे द्वारा जांच करली गई है।

हस्ताक्षर जांचकर्ता

नाम

पद

कार्यालय पटवार मण्डल तहसील जिला (राज.)

भूमि किस्म प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पुत्र श्री.....
जाति..... निवासी..... तहसील जिला राज. का
पुराना कब्जा सुदा आवासीय भूखण्ड जो ग्राम..... के खसरा सं.
किस्त आबादी में स्थित है। प्रार्थी द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से
जांच कर ली गई है। उपरोक्त विवरण सही है तथा उक्त भूखण्ड का कोई विवाद किसी न्यायालय
में विचाराधीन नहीं है व भूखण्ड पंचायत की स्वीकृत आबादी भूमि में स्थित है। अतः उक्त भूखण्ड
का पट्टा जारी करना उचित होगा। रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर पटवारी)

पटवार हल्का